

# प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 22.03.2023

## **कूटरचना, धोखाधड़ी व गबन करने के आरोप में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं गंभीर धाराओं में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 55/2023 धारा 420,406,467,468,471,120बी भादसं0 से सम्बन्धित अभियुक्ता अल्का गुप्ता पत्नी शैलेश गुप्ता निवासी 786 एस बिछिया जंगल तुलसीराम सर्वोदय नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** अभियुक्ता द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज द्वारा वादी मुकदमा के ससुर के इलाहाबाद बैंक के ऋण 14,00,000 रू0 का ऋण भुगतान कराने के लिए कुल 13,30,000 रू0 धोखे से हड़प लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय मु0अ0स0 55/2023, धारा 420, 406,467,468,471,120बी भादसं0 पंजीकृत किया गया था।

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-**

अल्का गुप्ता पत्नी शैलेश गुप्ता निवासी 786 एस बिछिया जंगल तुलसीराम सर्वोदय नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु0अ0स0 55/2023 धारा 420,406,467,468,471,120बी भादसं0 थाना राजघाट गोरखपुर

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. व0उ0नि0 संतोष सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. का0 अर्जुन शर्मा थाना राजघाट गोरखपुर
3. म0कां0 अन्नू सिंह राजघाट जनपद गोरखपुर
4. म0कां0 रेनू सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर